State of Illinois
Department of Human Services

अपने अधिकार और संसाधनों को जानें

आप्रवासियों{ रिफ्यूजी और शरणार्थियों के लिए

अपने अधिकार को जानें

आपकी आव्रजन स्थिति के बावजूद, अमेरिका का संविधान आपको मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, जिसमें समुचित प्रक्रिया और समान सुरक्षा का अधिकार शामिल हैं। एक आप्रवासी, रिफ्यूजी या शरणार्थी के रूप में, आपको अमेरिका में अपनी आव्रजन स्थिति के अनुरूप संघीय सुरक्षा और सेवाओं के लिए अलग-अलग अधिकार हैं।

यदि आपका किसी आव्रजन या कानून प्रवर्तन अधिकारी से सामना होता है, तो आप उन्हें अपने अधिकारों के बारे में इस प्रकार सूचित कर सकते हैं:

- चुप रहें और सवालों के जवाब न दें।
- यदि आपको हिरासत में लिया जाता है, तो आप तुरंत किसी वकील से संपर्क करें।
- वकील के सलाह के बिना किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दें।

इलिनोइस ट्रस्ट अधिनियम (5 ILCS805) संघीय आव्रजन प्रवर्तन एजेंटों के साथ मिलकर काम करते हुए किसी भी न्यायिक वारंट के बिना किसी को हिरासत में लेने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन को प्रतिबंधित करता है।

आप राष्ट्रीय अप्रवासी न्याय केंद्र से संपर्क कर अपनी सुरक्षा कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी निम्न पर प्राप्त कर सकते हैं: www.immigrantjus-tice.org, फोन से 312-660-1370, या ई-मेल से nijcild@heartlandalliance.org. www.icirr.org, पर जाकर या फोन के माध्यम से फैमिली स्पोर्ट नेटवर्क हॉटलाइन 1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693) पर कॉल कर आप अप्रवासी और शरणार्थी अधिकारों के लिए इलिनोइस कोलिएशन से भी संपर्क कर सकते है।

चेतावनी « गलत इमीग्रेशन सलाह से परेशानी हो सकती है। केवल लाइसेंस प्राप्त वकील एवं न्याय विभाग से मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों को इमीग्रेशन संबंधित कानूनी सलाह प्रदान करनी चाहिए। नोटरी पब्लिक या नोटरी इमीग्रेशन संबंधित कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए योग्य या अधिकृत नहीं हैं

सामाजिक और आर्थिक अवसर

स्थानीय सरकारी और गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ राज्य एजेंसियों और साझेदारी के माध्यम से, इलिनोइस आप्रवासियों, रिफ्यूजी और शरणार्थियों के लिए कई सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

- भोजन, आश्रय, चिकित्सा मदद जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता
- बच्चों, युवाओं और वयस्कों के लिए शिक्षा के अवसर
- रोजगार और व्यवसाय विकास के अवसर
- नागरिक के साथ मेलजोल और देशीकरण के अवसर

आपका संघीय और राज्य सेवाओं के लिए पात्रता, और ऊपर सूचीबद्ध अवसर, आपकी इमीग्रेशन स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

आप अधिक जानकारी के लिए सीधे राज्य एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं, या इलिनोइस के मानव सेवा विभाग द्वारा वित्तपोषित एजेंसियों में से एक से संपर्क कर सकते हैं ताकि आप्रवासियों, शरणार्थियों या शरण चाहने वालों की मदद की जा सके। इन एजेंसियों में ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो आपकी भाषा में बता कर सकते हैं। आप इलिनोइस के डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज की इस वेबसाइट पर आप्रवासियों की सेवा करने वाली एजेंसियों की सूची प्राप्त सकते हैं: www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=117419

राज्य सेवाओं और अवसरों की जानकारी

वृद्ध कल् याण विभाग

- वृद्धा अवस्था हेतु मदद प्राप्त के लिए , www2.illinois.gov/aging, पर जाएं, (800) 252-8966 पर वृद्धों हेतु बनी हेल्पलाइन (800) 252-8966 पर कॉल करें या aging.ilsenior@illinois.gov. ई-मेल से संपर्क करें

बाल एंव परिवार सेवा विभाग

- अभिभावकीय के मामलों में मदद के लिए DCFS अभिभावक के कार्यालय जाएं, या (312) 814-8600 पर कॉल करें। बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट करने के लिए 800-25-ABUSE (800-252-2873) पर कॉल करें।

रोजगार सुरक्षा विभाग

- आप नौकरी खोजने, इवेंट और कार्यशालाओं के बारे में जानकारी व आयोजन के लिए www.ides.illinois.gov/Pages/EventsandWorkshops पर विजिट कर जा सकते हैं। आप www.IllinoisJobLink.com पर भी उपलब्ध नौकरियां खोज सकते हैं।

मानव सेवा विभाग

- आपको और आपके परिवार को भोजन, नकदी और चिकित्सीय मदद जैसी आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायता करता है। आप और विशिष्ट जानकारी www.abe.illinois.gov पर प्राप्त कर सकते हैं या ABE ग्राहक कॉल सेंटर (800) 843-6154 पर कॉल कर सकते हैं।

- www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=16628. पर विजिट कर अपनी इमीग्रेशन की स्थिति के आधार पर सहायता के लिए आपनी पात्रता के बारे में और जानकारी लें।

जनस्वास्थ्य विभाग

- संबंधी समस्याओं या चिंताओं के निवारण हेतु 217-785-4311 पर कॉल कर या dph.cmhs.info@illinois.gov पर ई-मेल कर या बेबसाइट लिंक www.dph.illinois.gov/topics-services/life-stages-populations/minority-health पर विजिट कर अल्पसंख्यक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र से संपर्क करें।

IDHS 5450 (N-05-19) Know Your Rights Sheet_Hindi
Printed by the Authority of the State of Illinois -0- copies

Illinois Department of Human Services